

संख्या 1647/रा0नि0आ0-2/786/2007 दिनांक 06/09/2008

प्रेषक,

जे0आर0लापड,
संयुक्त सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)।

विषय- दो या दो से अधिक उम्मीदवारों को समान मत प्राप्त होना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से यह कहने का निदेश हुआ है कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के अंतर्गत किसी भी एक पद/स्थान पर निर्वाचन लड़ने वाले किन्हीं दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के बीच यदि सम्पूर्ण मतों की मतगणना समाप्त हो जाने के पश्चात मतों की समानता हो और एक मत जोड़ दिये जाने से उन उम्मीदवारों में से कोई एक उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किये जाने के लिए हकदार हो जाये तो निर्वाचन अधिकारी उन उम्मीदवारों के बीच नामों की पर्ची (लाटरी) डालकर तत्काल निश्चय करेगा और इस प्रकार कार्यवाही करेगा मानो उस उम्मीदवार ने जिसके पक्ष में नाम पर्ची निकलती है एक और मत प्राप्त कर लिया है।

भवदीय,

ह0.

(जे0आर0लापड)

संयुक्त सचिव।

संख्या 1647(1)/रा0नि0आ0अनु0-2/786/2007 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. समस्त आयोग के प्रेक्षकगण, द्वारा जिला मजिस्ट्रेट उत्तराखण्ड (हरिद्वार को छोड़कर)।
2. मण्डलायुक्त गढवाल/कुमायूँ ।
3. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानीय चुनावालय, उत्तराखण्ड (हरिद्वार को छोड़कर)।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी /उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड (हरिद्वार को छोड़कर)।

ह0.

(जे0आर0लापड)

संयुक्त सचिव।